

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

सं०- 10/निजी-01-1091/2025

पटना/दिनांक-

श्री विजय कुमार (आई0डी0-5876), सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान को उनके प्रथम संतान हेतु दिनांक-20.02.2026 से दिनांक-06.03.2026 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 तथा वित्त विभागीय पत्रांक-9889 दिनांक-01.12.2015 के आलोक में पितृत्व अवकाश के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सरफराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1091/2025

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक-1215 दिनांक-25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1091/2025

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1091/2025

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- श्री विजय कुमार (आई0डी0-5876), सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1091/2025

पटना/दिनांक- 08/06/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)।